विषय सूची

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		vii
कार्यपालन सारांश		ix
अध्याय 1 – राज्य शासन के वित्त		
प्रस्तावना	1.1	1
राज्य की रूपरेखा	1.2	1
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)	1.3	1
राजकोषीय लेन–देनों का सारांश	1.4	2
2017–18 की तुलना में 2018–19 के दौरान मुख्य राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन	1.4.1	4
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबधित राजस्व प्राप्तियों/राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियां	1.4.2	5
उत्पलावक अनुपात में प्रवृत्तियां	1.4.3	6
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.5	6
राजकोषीय सुधार पथ	1.5.1	6
मुख्य राजकोषीय मापदंडों पर मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लक्ष्य एवं उनकी उपलब्धियाँ	1.5.2	6
वास्तविक राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा	1.5.3	8
मध्यम कालीन राजकोषीय नीति विवरण	1.5.4	8
राजकोषीय घाटे के संघटन एवं वित्तपोषण	1.5.5	9
बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े	1.6	10
जेण्डर बजटिंग	1.6.1	11
राज्य के वित्तीय संसाधन	1.7	12
वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन	1.7.1	12
राजस्व प्राप्तियाँ	1.7.2	13
पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ	1.7.3	18
विभाग द्वारा कर के अपवंचन का पता लगाना	1.8	19
संग्रहण लागत	1.9	20
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.10	20
व्यय की वृद्धि एवं संरचना	1.10.1	20
पूंजीगत व्यय	1.10.2	21
राजस्व व्यय	1.10.3	21
प्रतिबद्ध व्यय	1.10.4	22
सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता	1.10.5	25
व्यय के उपयोग की दक्षता	1.10.6	25
शासकीय व्यय एवं निवेश	1.11	26
सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम	1.11.1	26
अपूर्ण परियोजनाएं	1.11.2	27
निवेश एवं प्रतिलाभ	1.11.3	27
राज्य शासन द्वारा कर्ज तथा अग्रिम	1.11.4	28
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश	1.11.5	28
परिसम्पत्तियां एवं देयताएं	1.12	29

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संरचना	1.12.1	29
आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन–देन	1.12.2	30
आकस्मिक देयताएं–प्रत्याभूतियों की स्थिति	1.12.3	32
ऋण प्रबंधन	1.13	32
राज्य शासन की राजकोषीय देयताओं की संरचना	1.13.1	32
उधार ली गयी निधियों की निवल उपलब्धता	1.13.2	33
ऋण संधारणीयता	1.13.3	34
उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय)	1.13.4	35
आगे की कार्यवाही/निरंतरता	1.14	35
निष्कर्ष	1.15	36
अनुशंसाएं	1.16	36
अध्याय 2 – वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	37
विनियोगों की लेखापरीक्षा	2.2	37
विनियोग लेखे का सारांश	2.2.1	37
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	38
आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है	2.3.1	38
बचतें	2.3.2	40
सतत बचतें	2.3.3	41
योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान	2.3.4	42
अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान	2.3.5	44
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग	2.3.6	45
सारभूत समर्पण	2.3.7	45
समर्पित न की गईं प्रत्याशित बचतें	2.3.8	45
व्यय का गलत वर्गीकरण	2.3.9	46
व्यय की अत्यधिकता	2.3.10	46
निधियों का आहरण एवं सिविल जमा में रखना	2.3.11	46
चयनित अनुदानों की समीक्षा का परिणाम	2.4	47
सारांशीकृत स्थिति	2.4.1	47
सारभूत बचतें	2.4.2	48
समर्पित न की गयी प्रत्याशित बचतें	2.4.3	48
निधियों के पुनर्विनियोग के लिए अनावश्यक/अत्यधिक प्रावधान	2.4.4	49
कार्यान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय सहायता निधि कम जारी किया जाना	2.4.5	49
निष्कर्ष	2.5	50
अनुशंसाएं	2.6	50
अध्याय 3 – वित्तीय प्रतिवेदन		
प्रस्तावना	3.1	51
व्यक्तिगत जमा खातों का संधारण	3.2	51
असंचालित व्यक्तिगत/शैक्षणिक जमा खाते	3.2.1	52
शासकीय धन को अनधिकृत रूप से बैंक खातों में रखा जाना	3.2.2	52
व्यक्तिगत जमा खाते का अनुचित संचालन	3.2.3	53
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर	3.3	53
उपकर का लेखांकन	3.3.1	53

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
श्रम उपकर की उपयोगिता	3.3.2	54
कालातीत चेकों के कारण देय राशि की वसूली न होना	3.3.3	55
लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र	3.3.4	55
आयकर अधिनियम का गैर–अनुपालन	3.3.5	56
शासकीय लेखों में अपारदर्शिता–लघु शीर्ष 800 का परिचालन	3.4	56
आयोजना/आयोजनेत्तर के अन्तर्गत उप मुख्य शीर्ष का गलत संचालन	3.5	58
उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की अप्रस्तुति	3.6	59
दुर्विनियोग, हानियाँ एवं गबन इत्यादि की सूचना	3.7	60
रोकड़ शेष में भिन्नता	3.8	61
विभागीय प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान	3.9	61
अस्थायी अग्रिमों का समायोजन	3.10	62
बैंक खातों का अनियमित संधारण	3.11	63
बजट अनुदानों को व्यपगत होने से रोकने के लिए निधियों को बैंक खाते में रखना	3.11.1	64
योजना की समाप्ति के पश्चात् निधियों को बैंक खातों मे रखना	3.11.2	65
राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखने की स्थिति	3.12	65
भारतीय शासकीय लेखांकन मानकों का अनुपालन न होना	3.13	67
निष्कर्ष	3.14	68
अनुशंसाए	3.15	68

परिशिष्ट

विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ क्रमांक
राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)	1.1	71
शासकीय लेखों की संरचना	1.2 (भाग–क)	72
वित्त लेखों की रूपरेखा	1.2 (भाग–ख)	72
चयनित शब्द जिनका प्रयोग राजकोषीय समुच्चय की रूपरेखा तथा पद्धति के मूल्याकंन में किया गया है, की परिभाषा	1.2 (भाग–ग)	73
वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ समग्र राजकोषीय स्थिति का सार	1.3	74
2018–19 हेतु बजट अनुमानों की वास्तविकता से तुलना	1.4	77
जेण्डर बजट के अंतर्गत ₹ एक करोड़ से अधिक की कमी का विवरण	1.5	79
राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े	1.6	80
स्वयं के कर राजस्व 2014–19	1.7 (क)	83
करेत्तर राजस्व 2014–19	1.7 (ख)	83
31 मार्च 2019 को मध्य प्रदेश शासन की परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षेप स्थिति	1.8	84
पिछले वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है	2.1	86
विभिन्न अनुदानों/विनियोगों, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थी, का विवरण पत्रक	2.2	87
विभिन्न अनुदानों/विनियोगों, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹100 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थीं, का विवरण पत्रक	2.3	89
सतत् बचत दर्शाने वाले अनुदान	2.4	91
योजनाएं जिनमें प्रत्येक प्रकरण में ₹10 करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा	2.5	92
प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	2.6	97
प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)	2.7	99
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)	2.8	100
2018–19 के दौरान सारभूत समर्पण	2.9	105
विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्रक जिनमें बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) हुईं, परन्तु उसके किसी भी भाग का समर्पण नहीं किया गया	2.10	112
समर्पित नहीं की गईं ₹ एक करोड़ या अधिक की बचतों का विवरण	2.11	113
समर्पण आदेश जो प्रधान महालेखाकार द्वारा स्वीकार नहीं किये गये	2.12	116

विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ क्रमांक
पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत राजस्व अनुभाग का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक जहाँ बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक था	2.13	117
राजस्व अनुभाग के अंतर्गत मशीनें एवं वृहद् निर्माण कार्य का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक जहाँ बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक था	2.14	119
व्यय की अत्यधिकता	2.15	120
विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सारभूत् बचतें, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थी	2.16	121
प्रकरण जहाँ पुनर्विनियोजन प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ	2.17 (क)	123
प्रकरण जहाँ पुनर्विनियोजन प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ	2.17 (ख)	124
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की स्थिति	3.1	125
टीडीएस कटौती और टी.ए.एन. कटौतीकर्ताओं का विवरण	3.2	127
लघु शीर्ष '800–अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत पुस्तांकन	3.3	128
लघु शीर्ष '800–अन्य व्यय' के अंतर्गत पुस्तांकन	3.4	129
लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की मुख्य शीर्षवार स्थिति	3.5	130
दुर्विनियोग, गबन इत्यादि के प्रकरण	3.6	131
चोरी, दुर्विनियोग/शासकीय सामग्रियों की हानि के प्रकरण	3.7	133
2018–19 के दौरान अपलेखित प्रकरण	3.8	134
2018–19 के दौरान हानि के प्रकरणों में सूचित की गई वसूली	3.9	135
बैंक खातों का विवरण	3.10	136
शहरी स्थानीय निकायों के बैंक खातों में निधियों के अवरूद्ध होने का विवरण	3.11	137